

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274563
CG-DL-E-16072026-274563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3757]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948

No. 3757]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

का.आ. 3920(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), एतद्वारा “दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (पैन: AADAD2584N)”, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 6, के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय है, उक्त निकाय को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, निम्नानुसार है:

क. सरकारी अनुदान/सब्सिडी;

ख. सांविधिक अधिदेश के तहत एकत्र किया गया सहमति शुल्क, लाइसेंस शुल्क और आवेदन शुल्क;

ग. पर्यावरणिक कानूनों के तहत लगाए गए दंड और जुर्माना; तथा

घ. अधिशेष निधियों की बैंक जमाराशि/निवेश पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्तों के अधीन लागू होगी कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (पैन: AADAD2584N),—
- क. किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;
- ख. उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263 की धारा (9), उप-के खंड (ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा
- ग. इसके कार्यकलाप और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी।
3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।
4. यह अधिसूचना कर वर्षों 2026-27 से 2027-28 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 87/2026/फा. सं. 300196/75/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2026

S.O. 3920(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with Section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Delhi Pollution Control Committee (PAN: AADAD2584N)', a body constituted by the Central Government under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), in respect of the following specified income arising to the said body namely, as follows:

- a. Government grants/subsidies;
 - b. Consent fees, license fees and application fees collected under statutory mandate;
 - c. Penalties and fines levied under environmental laws; and
 - d. Interest earned on bank deposits/investments of surplus funds.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Delhi Pollution Control Committee (PAN: AADAD2584N), —
- a. shall not engage in any commercial activity;
 - b. shall file return of income in accordance with the provision of clause (c)(xiii) of sub-section (9) of section 263 of the said Act, 2025; and
 - c. its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years.
3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.
4. This notification shall be applicable for tax years 2026-27 to 2027-28.

[Notification No. 87/2026/F.No. 300196/75/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.